FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर (SDO) बायतु...मुकाम...

...हरदानराम...बनाम...खेताराम वगैरा...

किस्म मुकदमा...रा० आवेदन 111/128 RLR Act...नं...239...सन्...2019...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.7.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...खेताराम जाखड़... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...111, 128 RLR Act... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...7.8.19... को पेश हो।	
07/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 15/10/19 को पेश हो।	
15/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई. विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढा मेढ विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत आये हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के सेढो पर जो पुरानी मार्के व डोले आये हुए थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तथा सेढो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची या पक्की	

Scanned by CamScanner

माह या मिनट खाली नहीं होने के [illegible] यादी है [illegible] भूमि पर [illegible] [illegible] रोक देते हैं। एवं बयान [illegible] [illegible] [illegible] के लिखी जाती व [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है जाती इस [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नामान्तरण [illegible] [illegible] [illegible] करने [illegible] [illegible] दिया जाए [illegible] जाते।

अतः प्रार्थी आवेदक के निवेदन पर प्रार्थी का नामान्तरण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रमाणित है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। प्रमाणित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] है।

[signature]

सहायक समाहर्ता (SDO)
[illegible]

[signature]
[illegible]

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 638 दिनांकः– 15/10/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हरदानराम पुत्र नरसिंगाराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र ईशराराम वगैरा जाति जाट निवासी नवलदेव छतरी चौखला तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 239 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा नवलदेव छतरी पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 34 रकबा 90.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2019 / 639-44 दिनांकः– 15/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हरदानराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री खेताराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा / बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.20 17:57:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: